न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनीयॉ आर.ए.एस

अपील सं0 153/2022
आरसीएमएस नं. 2022/153

1. कृष्णा पुत्री देवीलाल जाति जाट निवासी सोनडी तहसीलदार नोहर जिला हनुमानगढ।
2. ईमरती पुत्री देवीलाल जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नेाहर जिला हनुमानगढ।

–अपीलान्ट

बनाम

1. देवीलाल पुत्र तुलछाराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नेाहर जिला हनुमानगढ।
2. धर्मपाल पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नेाहर जिला हनुमानगढ।
3. शिशपाल पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नेाहर जिला हनुमानगढ।
4. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नेाहर जिला हनुमानगढ।

– रेस्पोडैन्ट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 24.01.2022
द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, नोहर
प्रकरण संख्या 234/2016 बअनवान राजेन्द्र प्रसाद बनाम देवीलाल

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1
श्री मांगेलाल देहडू अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 4
श्री विजय सिह कड़वासरा अधिवक्त रेस्पो0 सं0 3

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

निर्णय

दिनांक – 8·9·2022

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट सं0 4 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत एक वाद पेश किया। वादपत्र में कथन कियाकि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता संख्या 239/187 की 8.8354 है0 भूमि हमारी पैतृक भूमि है जो कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण देवीलाल के अकेले के नामदर्ज हो गई जबकि देवीलाल के सभी वारिसान का उक्त भूमि में ब.हि.ब.ब जन्म जाति हक हिस्सा है जिसकी घोषणा की जाकर जमाबन्दी में देवीलाल के साथ वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के नाम ब.हि.ब. दर्ज की जावे प्रतिवादीगण ने वादी के वाद को स्वीकार किया एवं इकबाल पेश किया एवं वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं होना जाहिर करने पर विचारण न्यायलाय ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के द्वारा वाद वादी स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि विचारण न्यायालय ने निर्णय पारित करते वक्त अपना माईण्ड अप्लाई नहीं किया। मातहत अदालत ने अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया व पत्रावली वास्ते जवाब चल रही थी तथा हमने हमारा वकील नियुक्त कर रखा था लेकिन वादी ने अपीलाण्ट को गुमराह करते हुए तथा अनपढ होने का नाजायज फायदा उठाते हुए खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाकर बिना सुनवाई किये समस्त भूमि अपने नाम करवाली जो निरस्त योग्य है। मातहत अदालत ने बिना किसी तारीख पेशी के तथा बिना दस्तावेजों पर गौर किये तथा बिना किसी साक्ष्य सबूत के दावा डिक्री करने की भूल की है। अपीलाधीन निर्णय का अपीलाण्ट को ज्ञान नहीं हेा सका अपने भाईयों से पूछा तो उन्होंने बताया कि भूमि हमारे नाम हो गई है आपका कोई हिसा नहीं है। तब अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान हुआ एवं ज्ञान होते ही अपील पेश कर दी है। अतः देरी क्षमा की जावे एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जावें।
4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाधीन निर्णय आपसी सहमति एवं राजीनामा के आधार पर पारित किया है। अपीलाण्ट का इकबाल दावा एवं फर्दअहकाम पर हस्ताक्षर हैं। अपीलाण्ट यह नहीं कह सकतीं कि अपीलाधीन निर्णय का उसे ज्ञान नहीं है। अपीलाण्ट ने इकबालदावा पेश किया है। इकबाल दावा के आधार पर वाद को डिक्री किया गया है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण स्वीकार किया जाता है एवं अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7. अधीनस्थ न्यायलाय में अधिकारों की घोषणा का वाद रेस्पोडेण्ट संख्या 4 ने पेश किया था जो विचारण न्यायलाय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा डिक्री किया है। अपीलाण्ट का कथन है कि अपीलाधीन निर्णय का उसे ज्ञान नहीं था उसे खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाकर बिना किसी सुनवाई किये समस्त भूमि वादी ने अपने नाम दर्ज करवा ली है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में राजीनामा दिनांक 20.01.2022 में शामिल है। जिसमें अपीलाण्ट सहित सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 20.01.2022 पर भी सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर हैं जिसमें राजीनामा पेश किये जाने का अंकन है और विचारण न्यायलाय ने प्रतिवादीगण द्वारा वाद को स्वीकार करने के आधार पर वाद को डिक्री किया है। अपीलाण्ट यह नही कह सकता है कि उसे गंमराह करके अपीलाधीन निर्णय पारित करवाया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री दिनांक 24.01.2022 यथावत रखे जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 8.9.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8/9/22

(करतारसिंह पूनीयां)

आर. ए. एस.

राजस्व अपील अधिकारी

हनुमानगढ

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास करतार सिंह पूनियाँ आर0ए0एस0

अपील सं0 153/2022
आरसीएमएस नं. 2022/153

1. कृष्णा पुत्री देवीलाल जाति जाट निवासी सोनडी तहसीलदार नोहर जिला हनुमानगढ।
2. ईमरती पुत्री देवीलाल जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

–अपीलान्ट

बनाम

1. देवीलाल पुत्र तुलछाराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. धर्मपाल पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. शिशपाल पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

– रेस्पोडैन्ट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 24.01.2022
द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, नोहर
प्रकरण संख्या 234/2016 बअनवान राजेन्द्र प्रसाद बनाम देवीलाल

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलाण्ट, श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1, श्री मांगेलाल देहडू अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 4, श्री विजय सिह कड़वासरा अधिवक्त रेस्पो0 सं0 3 की बहस समायत की जाकर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती हे एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन निर्णय एव डिक्री दिनांक 24.01.2022 यथावत रखे जाते हैं।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 8·9·2022 को जारी की गई।

8/9/22

(करतार सिंह पूनियाँ) आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ